न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 घरघोड़ा जिला रायगढ(छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी–कु. प्रतिभा मरकाम)

उत्तराधिकार प्र.क – 01/2018
संस्थित दिनांक–03.07.2015

रवि कुमार श्रीवास आ. स्व. श्री रामधन श्रीवास,
उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम छाल,
एस.ई.सी.एल. कॉलोनी, तहसील–धरमजयगढ,
जिला रायगढ़ छ.ग. ....**आवेदक**

// वि–रू–द्ध //

1. आम जनता
2. शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा
   निगम रायगढ़ ....**अनावेदक**

–:: आ–दे–श –::
(आज दिनांक 09.03.2021 को पारित किया गया)

01/ आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक श्री रामधन श्रीवास पिता तिहारू राम का अनावेदक क्रमांक 02 की शाखा में एक बीमा पॉलिसी जिसे जीवन आनंद पॉलिसी के नाम से जारी किया गया था, पॉलिसी क्रमांक 328691342 दिनांक 04.06.2003 जो एक लाख रूपए की थी जिसके संबंध में विधिक ज्येष्ठ पुत्र होने से उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका इस आदेश के जरिये निराकरण किया जा रहा है।

02/ आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के पिता स्व. रामधन श्रीवास के नाम से अनावेदक क्रमांक 02 की शाखा में एक

बीमा पॉलिसी जिसे जीवन आनंद पॉलिसी के नाम से जारी किया गया था, पॉलिसी क्रमांक 328691342 दिनांक 04.06.2003 जो एक लाख रूपए की थी, उक्त बीमा पालिसी की परिपक्वता दिनांक 04.05.2014 निर्धारित थी जो कि उसके पिता स्व. रामधन श्रीवास को अपने जीवनकाल में प्राप्त हो चुकी थी। उक्त बीमा पॉलिसी आवेदक के पिता के नाम से दर्ज हुई थी उनकी मृत्यु दिनांक 17.07.2017 को एक्सीडेंट में हो गई थी। उक्त बीमा पॉलिसी में नॉमिनी के रूप में पालिसीधारक की पत्नी अर्थात् आवेदक की माता श्रीमती सुलोचना श्रीवास थी, जिसकी मृत्यु 27.07.2016 को हो गई थी। आवेदक के पिता को जारी बीमा पॉलिसी जीवन आनंद पॉलिसी बतौर लाभ एवं एक्सीडेंटल फायदा के तहत जारी किया गया था यानी कि परिपक्तवा भुगतान होने के पश्चात एक वर्ष के अंदर पॉलिसीधारक की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो एक लाख रूपए अनावेदक क्रमांक 02 बीमाधारक के उत्तराधिकारी को प्रदान करेगा। आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 17.07.2017 को मोटरसायकल में सफर करने के दौरान गड्ढे में गिरने से हो गई थी जिसकी प्रमाणिकता आवेदक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होती है। चूंकि आवेदक के पिता की नॉमिनी उनकी माता स्व. सुलोचना श्रीवास थी जिनकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है अतः आवेदक एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

03/ संशोधन के दौरान आवेदक के द्वारा स्व. रामधन श्रीवास के दो लड़के एवं तीन लड़कियां विधिक उत्तराधिकारी होना बताया गया है तथा सहमति में उक्त आवेदन आवेदक के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाली राशि के संबंध

में अनावेदक क्रं 02 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परंतु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इस न्यायालय के समक्ष आर्थिक एवं क्षेत्राधिकार होने से आवेदन प्रस्तुत किया है तथा अपने आवेदन अनुसार अनुतोष प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

04/ अनावेदक क्रं 02 का जवाबदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि यह सही होना बताया है कि भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी निगम रायगढ़ में पॉलिसी क्रं 328691342 दिनांक 04.06.2003 को जारी किया गया था तथा रामधन श्रीवास की मृत्यु दिनांक 17.07.2017 को मोटरसायकल दुघटना में हो गई थी। उक्त पॉलिसी में नॉमिनी के रूप में उनकी पत्नी सुलोचना श्रीवास का नाम दर्ज है। पॉलिसीकर्ता की मृत्यु के पूर्व ही नॉमिनी की मृत्यु दिनांक 27.07.2016 को हो चुकी है। आवेदक के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि रामधन श्रीवास के नाम से जारी बीमा पॉलिसी तथा जीवन आनंद बतौर लाभ और एक्सीडेंट फायदा के तहत जारी किया गया था जिसके अनुसार एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर एक लाख रूपए संबंधित पॉलिसीकर्ता के नाम से प्रदान किया जाना था किंतु नॉमिनी की अनुपस्थिति में या उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उक्त राशि उसके उत्तराधिकारी को विधिवत सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में ही बीमा कंपनी के द्वारा उसके विधिक उत्तराधिकारी को बीमा पॉलिसी की राशि दिया जाना संभव है। उक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अभाव में राशि प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अनावेदक क्रमांक 02 भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रबंधक रायगढ की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है।

05/ सूचना प्रकाशन के उपरांत अनावेदक आम जनता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक क्रमांक 02 उपस्थित।

06/ आवेदन पत्र के उचित निराकरण हेतु न्यायालय के सम्मुख मुख्य अवधारणीय बिन्दू यह है कि

01. क्या आवेदक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है ?

विवेचना एवं निष्कर्ष

07/ प्रकरण में आवेदक स्वयं रवि कुमार श्रीवास अ.सा. 01 ने कथन किया है कि उसने अपने शपथपत्रीय कथन में आवेदन का समर्थन करते हुए दस्तावेज **रामधन श्रीवास का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.2017 की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी 01, सुलोचना श्रीवास का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.2016 की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी 02, स्वयं का कक्षा छठवीं की अंकसूची की प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 03 प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक मृतक रामधन श्रीवास का पुत्र दर्शित हो रहा है** तथा अपने आवेदन अनुसार कथन किया है कि उसके पिता रामधन श्रीवास का शाखा प्रबंधक बीमा पॉलिसी जीवन आनंद पॉलिसी 04.06.2003 पॉलिसी क्रं 328691342 लिया गया था जिसमें एक लाख रूपए हो चुका था परंतु जीवन आनंद पॉलिसी के तहत परिपक्वता भुगतान के पश्चात एक वर्ष के अंदर पॉलिसी धारक की मृत्यु एक्सीडेंट से होने पर बीमा धारक के वारिसान को प्राप्त होने का नियम निर्धारित है। रामधन श्रीवास की तीन लड़कियां एवं दो लड़के हैं जिसका मैं बड़ा लड़का हूं तथा विधिक वारिसान होने से पॉलिसी धारक की मृत्यु उपरांत जीवन आनंद पॉलिसी के तहत राशि प्राप्त करने का अधिकारी

हूं। आवेदक के द्वारा स्वयं के कक्षा छठवी की अंकसूची प्रस्तुत की गई है जिसमें पिता के स्थान पर रामधन तथा माता के स्थान पर श्रीमती सुलोचना है। आवेदक के द्वारा अपने पिता की मृत्यु दिनांक 27.11.2016 को होना बताया गया है जिसके संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे इसी न्यायालय से नकल आवेदन के माध्यम से सत्य प्रतिलिपि होना पाया गया है। अनावेदक क्रमांक 02 बीमा पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा रायगढ के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा मृतक स्व. रामधन श्रीवास के नाम से जीवन बीमा पॉलिसी जारी किया गया था जिसका पॉलिसी क्रं 328691342 दिनांक 04.06.2003 था। यह भी स्वीकार किया है कि आवेदक के पिता रामधन की मृत्यु एक्सीडेंड से हुई है तथा उनकी नॉमिनी उनकी पत्नी सुलोचना श्रीवास की मृत्यु उनके पूर्व हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदन के द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पॉलिसी की राशि प्राप्त कर सकता है।

08/ यह अवलोकनीय है कि आवेदक के द्वारा धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करते समय कंडिका 08 में स्वयं को एकमात्र उत्तराधिकारी होना बताया गया है। संशोधन कर बाद में यह कथन किया गया है कि रामधन के दो लड़के एवं तीन लड़कियां हैं जो विधिक उत्तराधिकारी हैं तथा उनसे आवेदक के द्वारा सहमति लेने के पश्चात न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक रवि कुमार श्रीवास मृतक रामधन का पुत्र है, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में दी गई अनुसूची के अनुसार आवेदक मृतक का पुत्र होने के कारण प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी है तथा

वह जीवन आनंद पॉलिसी 382691342 जो लाभ एवं एक्सीडेंट फायदे के तहत राशि कुल 1,00,000/– प्राप्त किया जाना है के संबंध में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

09/ उपरोक्त विवेचना के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मृतक रामधन श्रीवास के नाम से जीवन आनंद पॉलिसी के तहत एक लाख रूपए प्राप्त करने का अधिकारी है, फलस्वरूप आवेदक का आवेदन **स्वीकार** किया जा रहा है। आवेदक द्वारा नियमानुसार न्याय शुल्क अदा किए जाने पर उक्त राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उसके पक्ष में जारी किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।	मेरे निर्देशन मे टंकित किया गया।
सही/– कु. प्रतिभा मरकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 01 घरघोड़ा जिला रायगढ छ0ग0	सही/– कु. प्रतिभा मरकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 01 घरघोड़ा जिला रायगढ छ0ग0